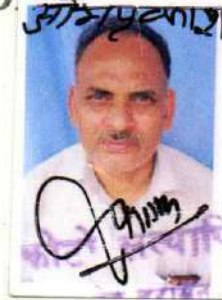


10/61



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



Z 228326

6802 तऽ शिकोहाबाद
दिनांक 13-9-18

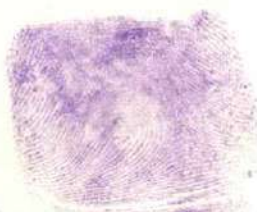
ट्रस्ट डीड

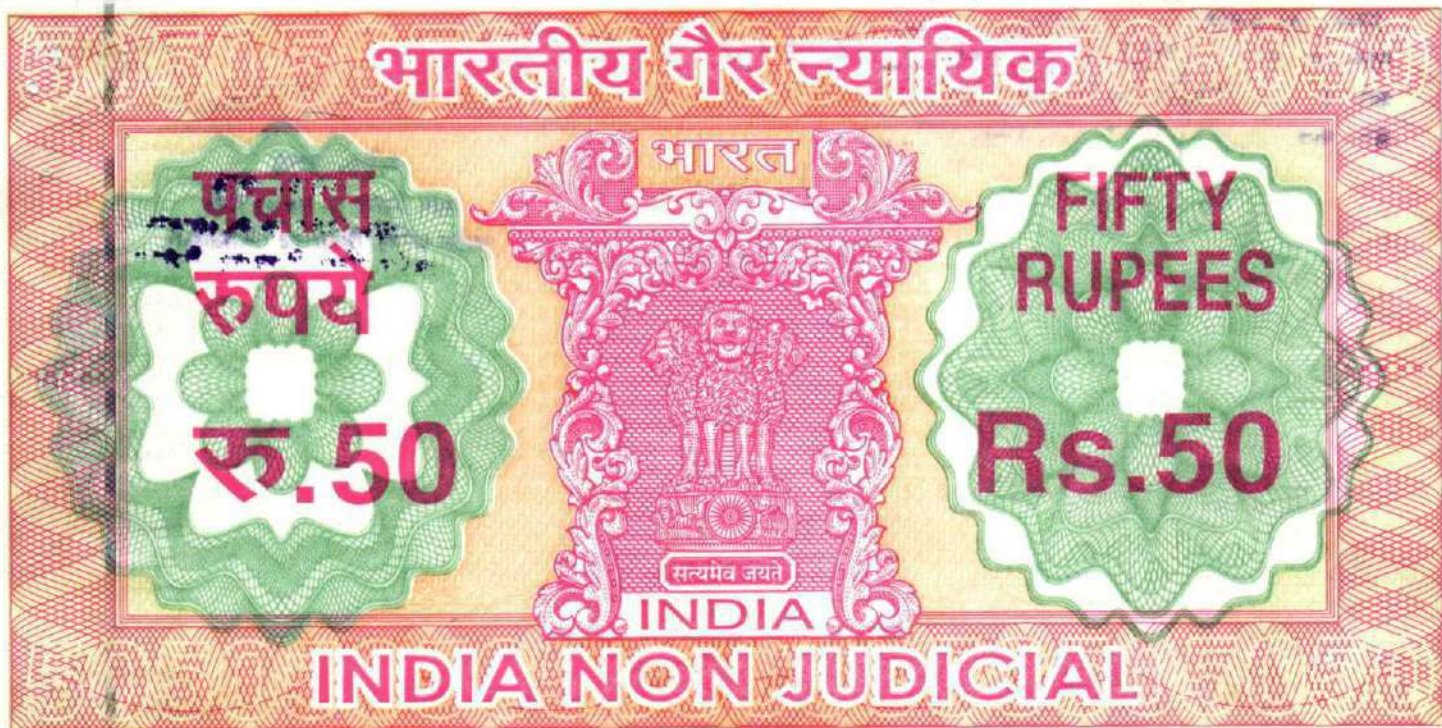
यह विलेख आज दिनांक 13-9-2018 ई० को ओमप्रकाश (आधार नं० 5061 0984 6277, मोबा० 9411060469, पैन AOOPP1117M) पुत्र श्री देवीराम यादव निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर व हाल निवासी- मुहल्ला माधौगंज, नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम- श्री डी०आर० जनकल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता- मुहल्ला माधौगंज, नगर व तहसील- शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
शाखा कार्यालय- ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।
3. ट्रस्ट में लगाया गया धन- ट्रस्ट में लगाया गया धन 5,000/- पांच हजार रुपये नगद धनराशि ओमप्रकाश पुत्र श्री देवीराम द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है।

क्रमशः.....2 पर

ओमप्रकाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 272880

(2)

भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है। अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

4. ट्रस्ट के तत्व- मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे-

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देवीराम यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधौगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधौगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टीकर्ता/सचिव/प्रबन्धक

ट्रस्टी

क्रमशः.....3 पर

ओमप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863682

(3)

3. श्री भीमसेन यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधौगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
द्रस्ती
4. श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री रवि कुमार यादव
निवासी- फ्लैट नं0-ए32, ग्राउण्ड फ्लोर, साई उपवन सोसायटी,
यूसुफपुर, चक सावेरी, गौतमबुद्धनगर
द्रस्ती
5. श्री रवि कुमार पुत्र श्री रामकिशन
निवासी- ग्राम जफराबाद, तहसील- शिकोहाबाद
जिला फिरोजाबाद व हाल निवासी- फ्लैट नं0-ए32, ग्राउण्ड फ्लोर,
साई उपवन सोसायटी, यूसुफपुर, चक सावेरी, गौतमबुद्धनगर
द्रस्ती
6. कु0 मोनिका पुत्री श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधौगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
द्रस्ती
5. ट्रस्ट के उद्देश्य-
 1. भारत के अस्पतालों, चिकित्सा विद्यालयों, चिकित्सा कालेजों, नर्सिंग संस्थानों, डिस्पेन्सरियों,
प्रसूति गृहों, बाल कल्याण केन्द्रों और/या अन्य इसी प्रकार के धर्मार्थ संस्थानों को सामान्य
क्रमशः.....4 पर

ओमप्रकाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863683

(4)

- जनता के लाभ और उपयोग के लिये धन का किन्हीं वस्तुओं के रूप में अनुदान/सहायता/बैंकों से ऋण प्राप्त करना, उसका विकास करना और उसका रखरखाव करना।
2. भारत के विद्यालयों, कालेजों, लाइब्रेरियों, पठन कक्षों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसन्धान और उच्च तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा के संस्थानों के लिये विद्यार्थियों और स्टाफ और आम जनता के बीच शिक्षा के विकास और उन्नति के लिये और उसमें ज्ञान के प्रसार के लिये भी अनुदान/सहायता/अन्य वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण प्राप्त करना, उसे चलाना और उसे सहयोग देना।
3. विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना और चलाना तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना जिसमें पुस्तकें, बजीफें, मैडल और अध्ययन के लिये अन्य प्रोत्साहन शामिल है जो जाति, रंग, वंश, मत या लिंग के भेद से परे हो।
4. भारत में विज्ञान साहित्य, संगीत नाटक और ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिये ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और इसी प्रकार के उद्देश्य रखने वाले अन्य संस्थानों के लिये आम जनता के लाभ के लिये बढ़ावा देना, स्थापित करना, समर्थन देना और उसका रखरखाव करना या अनुदान/सहायता देना।
5. आम जनता के प्रयोग के लिये पार्क, बाग, जिमनैनिजयम, स्पोर्ट्स क्लब, धर्मशालायें और विश्राम गृहों की स्थापना करना और/या उसके रखरखाव के लिये अनुदान/सहायता/बैंकों से ऋण प्राप्त करना और उनका रखरखाव करना।

क्रमशः.....5 पर

कोइलपुकाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863684

(5)

6. निर्धन, जरूरतमंद वेसहारा व्यक्तियों, अनाथ विधवा और बुजुर्गों को राहत देने और उसकी सहायता करने के लिये वृद्धाश्रम, अनाथालय, अन्य स्थापनायें करना या उन्हें अनुदान/सहायता/बैंकों से ऋण प्राप्त कर संचालित करना।
 7. शारीरिक रूप से अक्षम और विकलांग या मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिये संस्थान स्थापित करना और उनका विकास करना और उन्हें शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र या अन्य कोई सहायता प्रदान करना।
 8. प्राकृतिक आपदाओं जैसे- अकाल, भूकम्प, बाढ़, आग, माहबारी आदि के दौरान जरूरतमंद पीड़ितों को राहत और सहायता प्रदान करना और इसी प्रकार के राहत कार्यों में जुटे हुये अन्य संस्थानों, स्थापनाओं या व्यक्तियों दान और/या अन्य सहायता प्रदान करना।
 9. मरघटों, शमशान भूमियों और कब्रिस्तान का निर्माण, मरम्मत और उनकी स्थापना करना।
 10. अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ, न्यासों या संस्थानों को अनुदान सहायता देना या उनकी मदद करना एवं आध्यात्मिक सभायें आयोजित करना एवं आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र में सहयोग करना।
6. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-** सम्पूर्ण भारत वर्ष
7. **ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य-**
1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों (किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों) में जमा की जायेगी जो जनहित तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लेनदेन करने (बैंक खातों के संचालन के

क्रमशः.....6 पर

कोट म प्रकाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

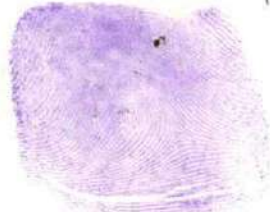
28AA 863692

(6)

- लिए) मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव) के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा। तथा ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का अधिकार पूर्णतः मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव में निहित होगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था की चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
 3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा खोली गयी कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।
 8. **ट्रस्टियों की नियुक्ति-** सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उसका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होंगे।
 9. **संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य-** ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्ध समितियों का गठन एक मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य 5 ट्रस्टी मिलकर करेंगे। यदि मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
 10. **ट्रस्ट प्रमुख-** ओमप्रकाश पुत्र श्री देवीराम इस ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव/मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टीकर्ता, होंगे इनकी मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/ प्रमुख ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में प्रमुख ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर

क्रमशः.....7 पर

(Handwritten signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863686

(7)

- सबसे बड़ी पुत्री मुख्यद्रुस्ती/ पदाधिकारी/प्रमुखद्रुस्ती होगी।
11. द्रुस्तियों की संख्या- द्रुस्तियों की संख्या मुख्यद्रुस्ती को मिलकर 6 होगी, जिसमें वर्तमान में मुख्यद्रुस्ती सहित निम्न द्रुस्ती होंगे।
- | | |
|--|--|
| 1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देवीराम यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधोगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद | मुख्य द्रुस्ती/द्रुस्तीकर्ता/सचिव/प्रबन्धक |
| 2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधोगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद | (अध्यक्ष) |
| 3. श्री भीमसेन यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर,
व हाल निवासी- मुहल्ला माधोगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद | (सदस्य) |
| 4. श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री रवि कुमार यादव
निवासी- फ्लैट नं0-ए32, ग्राउण्ड फ्लोर, साई उपवन सोसायटी,
यसुफपुर, चक सावेरी, गौतमबुद्धनगर | (सदस्य) |

क्रमशः.....8 पर

ओमप्रकाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863687

(8)

5. श्री रवि कुमार पुत्र श्री रामकिशन
निवासी- ग्राम जफराबाद, तहसील- शिकोहाबाद (सदस्य)
जिला फिरोजाबाद व हाल निवासी- फ्लैट नं०-ए32, ग्राउण्ड फ्लोर,
साई उपवन सोसायटी, यूसुफपुर, चक सावेरी, गौतमबुद्धनगर
6. कु० मोनिका पुत्री श्री ओमप्रकाश यादव
निवासी- नगला जवाहर, मौजा- हरगनपुर, (सदस्य)
व हाल निवासी- मुहल्ला माधोगंज, नगर व
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
12. ट्रस्ट की बैठक- ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।
13. गणपूर्ति- बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 भाग ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।
14. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-
1. अध्यक्ष-
- (1) ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।

क्रमशः.....9 पर

ओमप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863688

(9)

(2) मीटिंग बुलाने के लिए सचिव को निर्देश देना।

प्रबन्धक/सचिव-

- (1) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।
- (2) ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उनका प्रचार-प्रसार करना।
- (3) ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा, प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।
- (4) दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण करना।
- (5) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, बैंकों, ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।
- (6) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदायगी कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एवं वादों की पैरवी करना।

15. **लेखा परीक्षक-** ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन

क्रमशः.....10 पर

स्नेहा प्रकाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863689

(10)

संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय-व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

16. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन-

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्यट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेंगे।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होंगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी और ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे।

(1) अध्यक्ष	एक
(2) प्रबन्धक/सचिव	एक
(3) कोषाध्यक्ष	एक
(4) लेखा परीक्षक/आडीटर	एक
(5) सदस्य	दो

क्रमशः.....11 पर

कोडमपुत्र





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863690

(11)

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 13-9-2018 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोज के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णद्वारा करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान एवं समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है तथा वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यद्रष्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना वहकाये व सिखाये व बिना किसी ताजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

क्रमशः.....12 पर

चौडग शुभाश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 863691

(12)

रजिस्टर्ड तारीख 13-9-2018 ई०। मसौदाकर्ता- प्रेमनरायन, दस्तावेज लेखक, तहसील शिकोहाबाद।

प्रेमनरायन



गवाह- प्रमेश कुमार पुत्र श्री गम्भीर सिंह
निवासी- ग्राम आटेपुर, तहसील सिरसागंज
आधार नं० 8814 1141 1919, मोबा० 9639770833

प्रमेश कुमार

गवाह- ओमवीर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह
निवासी- ग्राम फतेहपुर नसीरपुर, तहसील सिरसागंज
आधार नं० 5977 9075 8930, मोबा० 7983606152

ओमवीर सिंह



ओमवीर सिंह



ओमवीर सिंह

नाम- द०वि०- जय नारायण

जनजाति व० दि० ३९-३-१९५५

निवासस्थान तह० शिकोहाबाद

निवासी फरोजाबाद ३०३० लीगाई

हस्ताक्षर लेखक के हस्ताक्षर

प्रेमनरायन
१३/९/१८